भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 244570

दस्तावेज ट्रस्ट (न्यास)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 13.08.2014 को दिनेश राय पुत्र स्व0 गिरिजा राय ग्राम–लखमीपुर, पोस्ट–फतेहपुर अटवां, जनपद–गाजीपुर (जिसे एतदपश्चात संस्थापक/न्यासकर्ता से सम्बोधित किया गया) के द्वारा निष्पादित किया गया है।

ट्रस्ट का नाम–चिन्मय भारत ट्रस्ट

ट्रस्ट का पता–ग्राम–लखमीपुर, पोस्ट–फतेहपुर अटवां, जनपद–गाजीपुर उ0प्र0।

मुख्यालय/कार्यालय–ग्राम–लखमीपुर, पोस्ट–फतेहपुर अटवां, जनपद–गाजीपुर उ0प्र0 (जिसे आवश्यकतानुसार व समयानुसार अन्यत्र व विभिन्न स्थानों पर स्थापित व स्थानान्तरित किया जा सकेगा)

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र–सम्पूर्ण भारत।

ट्रस्ट की स्थापना राशि–11,000 (ग्यारह हजार रुपये मात्र)

ट्रस्ट का उद्देश्य–

ट्रस्ट का उद्देश्य एवं लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राणी मात्र के सर्वांगीण विकास जिनमें बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व आत्मिक विकास तथा समृद्धि हेतु देश–विदेश में संस्थाओं की स्थापना कर सर्वलोकै व सर्वजन कल्याणार्थ लोगों को शिक्षित, प्रशिक्षित व लाभान्वित करने का प्रयास करना एवं इन कार्यों में सहकारी, सरकारी, विदेशी व अन्य संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करना एवं उनका सहयोग करना। न्यास मानव अधिकार, स्वास्थ्य, कृषि एवं शिक्षा के प्रचार–प्रसार व विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के द्वारा देश, विदेश में लोगों को जागरूक करेगा व इसके लिये हर सम्भव प्रयास करेगा। मानव समाज को समृद्ध, संगठित, स्वस्थ एवं नैतिकवान बनाने हेतु देश में परियोजनाओं के क्रियान्वयन और मूल्यांकन में केन्द्र

क्रमशः——2

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AW 244571

-2-

सरकार, राज्य सरकार, निजी संस्थाओं एवं राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग प्राप्त कर कार्य करेगा और परियोजनाओं का संचालन करेगा, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों व उद्देश्यों की पूर्ति करना भी सम्मिलित है :-

1. ट्रस्ट का उद्देश्य सम्पूर्ण मानव को शिक्षित करके निरक्षरता उन्मूलन एवं उनके नैतिक, चारित्रिक एवं मानसिक विकास करने व शैक्षणिक स्तर को ऊंचा करने के लिये और उनके सर्वांगीण विकास हेतु समस्त कार्य करना है तथा विकास व उत्थान से सम्बन्धित कार्यक्रम का संयोजन, संचालन व सम्पादन किया जाना व उससे सम्बन्धित सभी संसाधनों की व्यवस्था करके अपने देश व विदेश में संस्थाओं की स्थापना करके सामाजिक उन्नयन, विकास एवं सुधार करने के साथ ही सम्पूर्ण मानव समुदाय को यथासम्भव आर्थिक, सामाजिक शैक्षिक, नैतिक, आध्यात्मिक रूप से सबल बनाना है।

2. देश में, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक व बौद्धिक विकास हेतु कारगर प्रयास करना तथा विकास को सुनिश्चित करना। लिंग, जाति, धर्म व क्षेत्रवाद के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करना तथा लोगों में मानवीय गुणों को विकसित करना तथा समतामूलक समाज के स्थापना हेतु प्रयास करना है।

3. देश में व्याप्त कुरीतियों, अपराध, नशा, निराशा व गरीबी को समाप्त करना तथा अमीरों और गरीबों, किसानों और गैर किसानों के बीच जीवन दशा के अन्तर को समाप्त करना, दलितों व कमजोर वर्गों तथा गरीबों पर होने वाले अत्याचार को रोकना तथा स्वार्थपरता को मिटाने का उपाय करना तथा गरीबी को खत्म करने की दिशा में सभी उपाय व कार्य करना है।

4. महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों व दलितों पर होने वाले अत्याचार को रोकना तथा उसका निराकरण व निदान कर संतुलित समाज की स्थापना करना। मानव विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना व देश के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा दिलाना है। लोगों की समस्याओं का संकलन व उसके निराकरण का उपाय व विश्लेषण करना और दहेज उत्पीड़न, बाल विवाह, महिला उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, बालश्रम इत्यादि कुरीतियों को समाप्त करने की दिशा में प्रभावकारी अभियान चलाना तथा देशवासियों को स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में हर सम्भव कार्य करना है। समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने की दिशा में बंधुआ मजदूरों की मुक्ति, दासता प्रथा की समाप्ति, नारी उद्धार, नारी सुरक्षा, बालश्रम की समाप्ति, विधवा व वृद्धों की दशा में सुधार हेतु जन कल्याणकारी योजनाओं का

क्रमशः——3

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AW 244572

संचालन करना तथा उसके निमित्त केन्द्रों की स्थापना कर उसका संचालन करना है।

5. असहाय, वृद्धों के कल्याणार्थ डे केयर सेंटर, ओल्ड एज होम, वृद्धा पुनर्वास केन्द्र, विकलांगों के लिये व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा पुनर्वास कार्यक्रम व योजना के अन्तर्गत परित्यक्त महिलाओं को पुनर्वासित कर समाज के मुख्य धारा में जोड़ना तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, आदिवासियों के लिये शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के लिये तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, झुग्गी झोपड़ी तथा फुटपाथों पर जीवनयापन करने वाले बच्चों के लिये शिक्षा, प्रशिक्षण कार्यक्रम, परिवार परामर्श केन्द्र एवं बाल श्रमिकों के लिये विद्यालय तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, गोष्ठी, सेमिनार का आयोजन करना तथा नारी उद्धार, नारी जागृति, अनाथालय, वृद्धाश्रम, निराश्रित व विस्थापित केन्द्रों की स्थापना करना व उसका संचालन करना है। ट्रस्ट लावारिस लाशों के कफन व दफन का भी इन्तजाम करेगा और उनके धर्म के अनुसार उनकी अन्त्येष्टि भी करेगा।

6. ट्रस्ट का उद्देश्य सभी मानव को शिक्षित करना तथा उसके निमित्त प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाईस्कूल, उच्चतम माध्यमिक विद्यालय, इण्टरमीडिएट विद्यालय, स्नात व स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दलित अम्बेडकर विद्यालय, संस्कृत व उर्दू पाठशाला, मूक्बधिर व विकलांग तथा नेत्रहीन छात्र/छात्राओं की पाठशाला, विधि विद्यालय, तकनीक शिक्षण विद्यालय, उच्च शिक्षण व अनुसंधान केन्द्र, कम्प्यूटर शिक्षण केन्द्र, प्रोफेसनल विद्यालय, प्रौद्योगिक कला, पत्रकारिता, वाणिज्यिक, क्रीड़ा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी शिक्षा, गायन वादन, नृत्य कला, प्रशिक्षण व भारतीय भाषाओं से सम्बन्धित शिक्षण संस्थायें व प्रोफेसनल विद्यालयों बी०एड०, बी०टी०सी०, नर्सरी ट्रेनिंग, बी०एड०, डी०एल०एड० बी०पी०एड०, बी०पी०डी०, व एन०सी०टी०ई०टी० द्वारा मान्य समस्त शैक्षणिक डिग्री व डिप्लोमा भारत में संचालित करना तथा शैक्षणिक बोर्ड से मान्यता प्राप्त कर उनसे सम्बद्ध, आबद्ध पंजीकृत व अनुमोदित कराकर विभिन्न विषयों पर विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करना व उसका प्रबंध करना तथा अन्य संस्थाओं की स्थापना में सहयोग करना और प्रमाण पत्र व डिप्लोमा, डिग्री प्रदान करना।

7. अगर ट्रस्ट विद्यालय की स्थापना करेगा तो निम्नलिखित शर्तों का पालन करेगा–

क. विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

क्रमशः——4